फर्द अहकाम

महेश बनाम कमला वगै०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 69 / 2025

दावा - 53188 RTA

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...25	पत्रावली पत्रावली पेश डिक्री वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी ने अवलोकन किया एवं कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी एवं वादी ने कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली (पत्रावली) बाद पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 69 / 2025

उनवान

1.महेश पुत्र भगवान सहाय, जाति भंगी, निवासी पठानो का बास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–वादी

बनाम

1. कमला पत्नि स्व० बनवारी
2. कैलाश पुत्र भगवान सहाय (नाम हजफ)
3.पप्पू पुत्र बनवारी
4.प्रेम देवी पुत्री भगवान सहाय (नाम हजफ)
5.बनवारी पुत्री छिगनलाल
6. बसन्ती देवी पुत्री भगवान सहाय नाम (नाम हजफ)
7.बाबूलाल पुत्र बनवारी
8. राधेश्याम पुत्र भगवान सहाय (नाम हजफ)
9.हनुमान पुत्र भगवान सहाय

समस्त जाति भंगी, निवासी–पठानो का बास, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज ०)

10. राजस्थान सरकार (भुधारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०) ।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 24/11/2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0–11 के खसरा नं0–1031 / 0.4900, 1033 / 0.5600 किता–2 रकबा 1.0500 है० वाकै ग्राम पठानो का बास, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में वादी का 1 / 14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–1 का 1 / 42 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–2 का हिस्सा, हिस्सा, प्रतिवादी सं0–3 प्रतिवादीसं 0–4 का 1 / 14 हिस्सा, प्रतिवादी सं०–5 का 1 / 2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–6 का 1 / 14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–7 का 1 / 42

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

हिस्सा, प्रतिवादी सं0–8 का 1/14 हिस्सा व प्रतिवादी सं0–10 का 1/14 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है। यहकि वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा ही उक्त वाद पत्र में विवादित बिलाबटी आराजी है जिसे वाद पत्र के आगे के पैराज में "वाद अधीन मुतवादिया" कहां गया है। वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित वाद अधीन मुतवादिया का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है जबकि वादी व प्रतिवादीगण सभी सहखातेदारी शामलाती में अदल बदल कर काश्त करते आये है तथा प्रत्येक इंच इंच भूमि पर सभी सहखातेदारान का संयुक्त कब्जा काश्त है तथा शामलाती में निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण बाजौर धनी व लडाकू किस्म के खूंखार व्यक्ति है जो ऊंची राजनैतिक पहुँच रखते है तथा शामलाती वाद अधीन मुतवादिया बाबत आये दिन सींव डोल विवाद करते रहते है तथा विशिष्ट भूभाग पर कब्जा कर पुख्ता तामीरात की फिराक में है तथा वादी को बेदखल करना चाहते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना कतई संभव नहीं रहा है। अर्सा–2 रोज पूर्व प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी की काश्त में जबरन दखलंदाजी पैदा करने लगे तथा विशिष्ट भुभाग पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे तो वादी ने हाय हल्ला किया तो आसपास के पडौसी काश्तकार एकत्रित हो गये तथा आस में समझाईश की गई तो प्रतिवादीगण कानूनी बंटवारा हेतु इंकार हो गये तथा अधिक नाराज होकर खुले में एलानियाँ धमकी दी कि हम विशिष्ट भुभाग पर जबरन कब्जा करके पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेगे। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी नं0–1031/0.4900, 1033/0.5600 किता–2 रकबा 1.0500 है० वाकै ग्राम पठानो का बास, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस के आधार पर राजस्व नियमावली को ध्यान में रखकर कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि में बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा मदाखलत पैदा नहीं करे जबकि वादी को उनके हिस्सा पर काबिज काश्त रहकर शांति पूर्वक काश्त करने देवे। पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी बाबत किये जाने नाम हजफ पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6, 8 ने अपना

सहायक कलक्टर

हिस्सा वादी को जरिये हकत्याग स्थानान्तरण कर दिया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामा0 संख्या 1054 दिनांक 24.07.2025 एवं 1055 दिनांक 26.08.2025 द्वारा वादी के हक में अमल दरामद हो गया है। प्रतिवादीगण 2, 4, 6, 8 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा हकत्याग कर दिया है एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण 2, 4, 6, 8 का अंकन नहीं रहा है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 6, 8 का नाम हजफ किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जावे। सुना गया। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की ताईद होने से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र बाबत् नाम हजफ स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 6, 8 के सम्मुख लाल स्याही से नाम हजफ के नोट का अंकन किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 10 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दावा दिनांक 26.09.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/6310 दिनांक 24.11.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी ने प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी नं0–1031/0.4900, 1033/0.5600 किता–2 रकबा 1.0500 है० वाकै ग्राम पठानो का बास, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. **महेश पुत्र भगवान सहाय हि0 5/6, हनुमान पुत्र भगवान सहाय हि0 1/6 जाति भंगी सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1031/2 रकबा 0.40 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.40 है0 भूमि रहेगी।**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

2. बनवारी लाल पुत्र छिगनलाल हि0 7/8, कमला पत्नि स्व0 बनवारी, पप्पू पुत्र बनवारी, बाबूलाल पुत्र बनवारी हि0 1/8 हि0ब0हि0 जाति भंगी सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1031/1 रकबा 0.09 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.09 है0 भूमि रहेगी।
3. बनवारीलाल पुत्र छिगनलाल हि0 51/64, महेश पुत्र भगवान सहाय हि0 13/175, हनुमान पुत्र भगवानसहाय हि0 3/200, कमला पत्नि स्व0 बनवारी, पप्पू पुत्र बनवारी, बाबूलाल पुत्र बनवारी हि0 51/448 जाति भंगी सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1033 रकबा 0.56 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.56 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 69 / 2025

उनवान

1.महेश पुत्र भगवान सहाय, जाति भंगी, निवासी पठानो का बास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–वादी

बनाम

1. कमला पत्नि स्व० बनवारी
2. कैलाश पुत्र भगवान सहाय (नाम हजफ)
3.पप्पू पुत्र बनवारी
4.प्रेम देवी पुत्री भगवान सहाय (नाम हजफ)
5.बनवारी पुत्री छिगनलाल
6. बसन्ती देवी पुत्री भगवान सहाय नाम (नाम हजफ)
7.बाबूलाल पुत्र बनवारी
8. राधेश्याम पुत्र भगवान सहाय (नाम हजफ)
9.हनुमान पुत्र भगवान सहाय

समस्त जाति भंगी, निवासी–पठानो का बास, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज ०)

10. राजस्थान सरकार (भुधारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०) ।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 24/11/2025

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी नं0–1031 / 0.4900, 1033 / 0.5600 किता–2 रकबा 1.0500 है० वाकै ग्राम पठानो का बास,

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. महेश पुत्र भगवान सहाय हि0 5/6, हनुमान पुत्र भगवान सहाय हि0 1/6 जाति भंगी सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1031/2 रकबा 0.40 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.40 है0 भूमि रहेगी।
2. बनवारी लाल पुत्र छिगनलाल हि0 7/8, कमला पत्नि स्व0 बनवारी, पप्पू पुत्र बनवारी, बाबूलाल पुत्र बनवारी हि0 1/8 हि0ब0हि0 जाति भंगी सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1031/1 रकबा 0.09 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.09 है0 भूमि रहेगी।
3. बनवारीलाल पुत्र छिगनलाल हि0 51/64, महेश पुत्र भगवान सहाय हि0 13/175, हनुमान पुत्र भगवानसहाय हि0 3/200, कमला पत्नि स्व0 बनवारी, पप्पू पुत्र बनवारी, बाबूलाल पुत्र बनवारी हि0 51/448 जाति भंगी सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1033 रकबा 0.56 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.56 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा।साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 24/11/25 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.